कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2 /45002/प्रधानाचार्य रिव्यू डीपीसी/01–02 से 17–18/2018 दिनांक 28.5.2018 द्वारा श्रीमती मीना अरोडा व्याख्याता, शांति देवी खण्डेलवाल बालिका उमावि-- गोठडा, तिजारा अलवर को पदौन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग उनके सहमति पत्र में अंकित विकल्प के आधार पर राउमावि–सिंहावली जिला भरतपुर, में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया था जहां श्रीमती अरोडा द्वारा दिनांक 31.05.2018 को कार्यग्रहण कर लिया गया।

श्रीमती मीना अरोडा द्वारा उक्त पदस्थापन आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में अपील संख्या 1316/2018 मीना अरोडा बनाम श्रीमान निदेशक दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.07.2018 द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को आदेशित किया गया कि यदि अपीलार्थी द्वारा उसके समक्ष 10 दिवस के भीतर गृह जिले में पदस्थापन बाबत् अभ्यावेदन पेश किया जावे तो प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी के सम्बन्ध में पुनः उसके गृह जिले अलवर में रिक्त पदों बाबत् रि--काउन्सलिंग करके उसके अभ्यावेदन को सकारण आदेश से विनिश्चित करे।

अपील संख्या 1316/2018 के क्रम में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्रीमती मीना अरोडा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में परिवेदना की गई है कि विधवा होने व उसके गृह जिले में प्रधानाचार्य के पद रिक्त होते हुए भी अपीलार्थी को गृह जिले में पदस्थापित नहीं किया गया जिससे विवश होकर उसे भरतपुर जिले हेतु अपनी सहमति देनी पडी।

माननीय अधिकरण के निर्णय एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के क्रम में अपीलार्थी के समक्ष अलवर जिले की रिक्तियों को प्रदर्शित करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र में अंकित विकल्प के आधार पर अपीलार्थी श्रीमती मीना अरोडा, प्रधानाचार्या राउमावि–सिंहावली, नगर भरतपुर का पदस्थापन राआउमावि–चावण्डी कलां तिजारा जिला अलवर में किया जाकर अभ्यावेदन को सकारण उक्त आदेश से एतद् द्वारा विनिश्चित किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/मीना अरोडा/अपील/1316/2018 दिनांक 18.7.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर/जयपुर ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा भरतपुर/अलवर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी
8. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)